

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(4) प्रत्येक महानगर योजना समिति का अध्यक्ष वह विकास योजना, जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, राज्य सरकार को भेजेगा।

**243यच. विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना** -- इस भाग में किसी बात के होते हुए भी संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त नगरपालिकाओं से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, जब तक सक्षम विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा :

परन्तु ऐसे प्रारंभ के ठीक विद्यमान सभी नगरपालिकाएं, यदि उस राज्य की विधान सभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में, जिसमें, विधान परिषद् है, उस राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेगी।

**243यछ. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन** -- इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी :-

(क) अनुच्छेद 243यक के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी;

(ख) किसी नगरपालिका के लिए कोई निर्वाचन, ऐसे निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं।

**3. अनुच्छेद 280 का संशोधन** -- संविधान के अनुच्छेद 280 के खण्ड (3) के उपखण्ड

(ग) को उपखण्ड (घ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित उपखण्ड (घ) के पूर्व निम्नलिखित उपखण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ग) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में;”

**4. बारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना** -- संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के पश्चात निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

### “बारहवीं अनुसूची” (अनुच्छेद 243ब)

1. नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है।
2. भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण।
3. आर्थिक और सामाजिक विकास योजना।

4. सड़कें और पुल।
5. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय।
6. लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध।
7. अभिशमन सेवाएं।
8. नगरीय बानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और परिस्थिति की आयामों की अभिवृद्धि।
9. समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा।
10. गंदी-बस्ती सुधार और प्रोत्तयन।
11. नगरीय निर्धनता उन्मूलन।
12. नगरीय सुख-सुधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था।
13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि।
14. शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और शमशान और विद्युत शवदाह गृह।
15. कांजी हाउस; पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण।
16. जन्म-मरण सांच्छिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है।
17. सार्वजनिक सुख-सुविधाएं, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टाप और जन सुविधाएं भी हैं।
18. वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन।

**संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के खण्ड (2) से,  
अनुच्छेद 243झ एवं 243ट के उद्धरण, जो कि संविधान (74वां  
संशोधन) अधिनियम, 1992 में संदर्भित किए गए हैं।**

**243झ.** वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन -- (1) राज्य का राज्यपाल, संविधान (तिहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर यथाशीघ्र, और तत्परतात्, प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर, वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा, ओर जो--

- (क) (i) राज्य द्वारा उद्यग्नित करों, शुल्कों, पक्षकारों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य पंचायतों के बीच, जो इस भाग के अधीन विभाजित किए जाएं, वितरण को और सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन को;
- (ii) ऐसे करों, शुल्कों, पक्षकारों और फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी;
- (iii) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान को, शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में;

- (iii) the grant of loans for building purposes or for purchase of conveyance to municipal officers and servants, on such terms and conditions as may be prescribed<sup>1</sup> [by byelaws] by the corporation;
- (iv) any other measures for the welfare of municipal servants;
- (v) contribution towards any public fund raised for the relief of human sufferings within the city or for the public welfare;
- (vi) establishing and maintaining pre-primary schools;
- (vii) establishing and maintaining public hospitals and dispensaries and carrying out other means necessary for public medical relief;]
- <sup>2</sup>[(mm)] any other matter likely to promote the public health, safety or convenience of the public;
- ३[३(a)] Urban planning including town planning;**
- ३[३(b)] Regulations of land-use and construction of buildings;**
- ३[३(c)] Planning for economic and social development;**
- ३[३(d)] Urban forestry, protection of the environment and promotion of ecological aspects;**
- ३[३(e)] Safeguarding the interests of weaker sections of society, including the handicapped and mentally retarded; and**
- ३[३(f)] Urban poverty alleviation.]**
- (f) भवन-निर्माण के आयोगों के लिए या नगरपालिका पदाधिकारियों लेखा सेवकों के बहन के हेतु ऐसे नियमों तथा प्रतिक्रियों पर ज्ञान का दिया जाना ऐसे कि नियम द्वारा [उपलिख्यों द्वारा] नियत किए जाएँ;
- (g) नगरपालिका सेवकों के कल्याण के लिए कोई अन्य आय;
- (h) नार के भीतर भीड़ित मानवों की सहायता के लिए या सार्वजनिक कल्याण के लिए निर्मित किसी भी सर्वजनिक निविष्टि में अंशदान;
- (i) पूर्व-प्राथमिक पाठ्यालाइंस की स्थापना तथा उनकी व्यवस्था;
- (j) सार्वजनिक चिकित्सालयों तथा औषधालयों का स्थापित किया जाना तथा उनका व्यवस्थित रखा जाना और ऐसे अन्य साधारणों का कार्यान्वयित किया जाना, जो कि सार्वजनिक निविष्टि स्थापत्या के लिए आवश्यक हो;]
- 2[(k)] कोई अन्य बात जिससे मार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा अथवा जरूरत की सुविधामें उत्पत्ति होने की संभावना हो।
- 3[(l)] नगरीय योजना नियम के अन्तर्गत नार योजना भी है;
- (m) भूमि उपयोग का नियिमन और भवनों का नियामन;
- (n) आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना;
- (o) जारीय वनिकी, वर्गविभाग का संचालन और पारिस्थितिकी के आयामों की अधिकृदि;
- (p) समाज के कमज़ोर वर्गों, के जिनके अन्तर्गत विकालांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हिंतों की रक्षा; और
- (q) जारीय निर्धारित कार्यालय-

68. Entrustment of certain functions by State Government to Corporation -- (1) The State Government may entrust either conditionally or unconditionally to the Corporation functions in relation to any matter specified in the<sup>1</sup> [Schedule] 2[Schedule-I], or in relation to any other matter to which the executive authority of the State extends or in respect of which functions have been entrusted to the State Government by the Central Government and the Corporation shall be bound to perform these functions.
- (2) Where functions are entrusted to the Corporation under this section, the Corporation shall, in the discharge of these functions, act as an agent for the State Government.
- (3) Where by virtue of this section powers and duties have been conferred or imposed as agency functions upon the Corporation, there shall be paid by the State Government to the Corporation such sum as may be determined by the State Government in respect of any extra costs of administration incurred by the Corporation in connection with the exercise of those powers and duties.
- (4) In so far as the Corporation is required to act under this section, it shall be under the general control of, and comply with such particular directions, if any, as may, from time to time, be given to it by the State Government or any other authority appointed by the State Government in this behalf.
- (5) The State Government may, by order, place at the disposal of the

<sup>1</sup> Applicable only in Madhya Pradesh.  
<sup>2</sup> Subs. by Sec. 9 of C.G. Act No. 18 of 2012 (w.c.f. 9-8-2012) for the word "Schedule", published in C.G. Rajapatra (Asadharan) dated 9-8-2012 Pages 425-426(26). Applicable only in Chhattisgarh.

Enacted by Section 3 (2) of the M.P. Act 13 of 1961.  
 Reprinted by Section 3 (2) of the M.P. Act 13 of 1961.  
 Issued by M.P. Act No. 16 of 1994 published in M.P. Gazette (Extraordinary) dated 30-03-1994.

68. शासन द्वारा नियम को कठिपय कार्यों का सौंपा जाना -- (1) शासन [परिचय] 2[उत्तरसौंची-एक] में निर्दिष्ट किसी भी नियम से संबंधित कार्यों के संबंध में या किसी अन्य ऐसे नियम के संबंध में, जो राज्य के कार्यालिक प्रशिकारी के अन्तर्गत आता है, या जिसके संबंध में कार्य केवल द्वारा शासन द्वारा राज्य शासन को सौंपे गए हों कार्य नियम को संप्रतिवेष या नियम प्रतिवेष के सौंप सकेगा, और नियम इन कार्यों का सम्पादन करने के लिए आवश्यक होगा।
- (2) जब नियम को इस धारा के अधीन कर्तव्य दिए जाए तो नियम इन कार्यों का निष्पादन करते सौंप शासन की ओर से प्रतिविष्टि के रूप में कार्य करेगा।
- (3) जब इस धारा के आधार पर शासनके तथा कर्तव्य नियम को ऐसेमी कार्यों के रूप में प्रदान कर्तव्य दिए जाए तो नियम इन कार्यों का निष्पादन द्वारा या अन्योनित किया जा सके हों तो राज्य शासन द्वारा नियम को ऐसी धरताराजि जो उन शासनकी तथा कर्तव्यों के प्रयोग में लाने के कारण नियम द्वारा किए गए शासन द्वारा संबंधी अतिरिक्त व्ययों के संबंध में शासन द्वारा निरपित की जाए।
- (4) जहाँ तक नियम को इस धारा के अधीन कार्य करने के लिए आवश्यक नियंत्रण के अधीन होगा, वह राज्य शासन के व्यापक नियंत्रण के अधीन होगा और ऐसे नियंत्रण नियंत्रों का, यदि कोई हो, पालन करेगा जो राज्य शासन द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर उपलब्ध दिए जाएं।
- (5) राज्य के ऐसी श्रेणियों के सेवकों की, जिनकी जारीय नियम को ऐसे सेवकों की

**टिप्पणी**

नगरालिक निगम का यह कर्तव्य है कि अधिनियम के अधीन दिये गये अपने कर्तव्यों का पालन करें। नगर निगम इस अधिवाचक का आश्रय-नहीं है। नगरालिक का यह कर्तव्य नहीं है कि उसके पास कोष की उसकी ले सकती कि वह कर्तव्य में उपलब्ध नहीं है। यह नेहों कि कोष उपलब्ध है या नहीं। नगर निगम यह नहीं कह सकती कि वह कोष के अधाव में उपलब्ध कर्तव्य गलत करने की स्थिति में नहीं है। वालियर बनाम दी मुनिसिपल कॉर्पोरेशन वालियर और अन्य, मार्गस्ता 1992 हाइको. नोट 57 पेज 237।

**67. Matters which may be provided for by Corporation at its discretion --** In addition to the other powers and duties, conferred or imposed by or under this Act or any other Act for the time being in force, the Corporation may, in its discretion provide from time to time either wholly or partly for all or any of the following matters, namely :-

(a) reclaiming healthy localities, laying out, whether in areas previously built upon or not, new public streets, and acquiring land for that purpose, including plots of land for building to abut on such streets;

(b) constructing, establishing or maintaining public parks or gardens, library, museums, halls, theatres, stadiums, offices, sarais, rest houses and other public buildings;

(c) constructing and maintaining residential quarters for municipal officers and servants;

(d) construction, maintenance and cleansing of washing and bathing places;

(e) furthering educational objects other than the

67. बातें जिनके संबंध में निगम के विवेकानुसार व्यवस्था की जा सकेगी -- इस अधिनियम के अधाव ताकालीन प्रावाक्षील किसी अन्य अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन प्रदत्त अथवा आमोंपित अन्य शक्तियों एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त निगम, अपने विकासनुसार, समय-समय पर या तो पूर्णतः या अंशतः नियमितिखित बातों में से समस्त के लिए अथवा उनमें से किन्हीं के लिए व्यवस्था कर सकेगा, अर्थात् :-

(अ) अव्यावस्थक बस्तियों का पुरुद्धार करना, ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें पूर्व में निर्माण हुआ हो अथवा नहीं, नवीन सर्वजनिक सड़कों को ढालना तथा उस आशय के लिए भूमि प्राप्त करना जिसमें ऐसी मझिकों पर मिलने वाले भवनों के लिए भू-भाग समिक्षित होंगे;

(आ) सार्वजनिक उदानों अथवा कागों, पुस्तकालयों, कौटुकालयों, सभा-भवनों, मार्य-गृहों, क्रीड़ागांगों, कार्यालयों, सरायों, विश्व-नृहों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों की रचना, करारा, स्थापना करना, तथा उन्हें व्यवस्थित रखना;

(इ) नगरालिक प्रदायिकारीयों तथा सेवकों के रहने के लिए निवासगृहों का निर्माण करना तथा उन्हें व्यवस्थित रखना;

(ई) नहाने तथा धोने के स्थानों की रचना, व्यवस्था तथा सफाई;

(उ) प्राथमिक पदवालाओं की स्थापना तथा व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य

- establishment and maintenance of primary schools and making grants to educational institutions;
- (f) planting and maintaining road side and other trees;
- (g) taking a Census and granting rewards for information tending to secure the correct registration of vital statistics;
- (h) making a survey;
- (i) the destruction or the detention of ownerless dogs or stray pigs, or detention of animals causing nuisance;
- (j) securing or assisting to secure suitable places for the carrying on of offensive trades or practices;
- (k) supplying, constructing and maintaining pipe and other fittings for the supply of water to private premises from water works maintained by the Corporation;
- (l) supplying, constructing and maintaining receptacles, fittings, pipes, and other appliances on or for the use of private premises for receiving and conducting the sewage thereof into sewers under the control of the Corporation;
- (m) fairs and exhibitions, or athletics or games competitions or tournaments;
- (n) constructing and maintaining such roads and buildings and other Government works as the Government may transfer to the Corporation;

- शैक्षणिक उद्ययों को अग्रसर करना, तथा शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देना;
- (क) मार के किनारे के तथा अन्य वृक्षों को लालना एवं उनका बोपण करना;
- (ए) जन-गणना करना तथा ऐसी जानकारी के हेतु जिससे जीवन के अंकड़ों का मही रजिस्टरार्कन प्राप्त हो सके, पारितोषिक प्रदान करना;
- (ऐ) संविधान करना;
- (ओ) स्वामी रहित कुत्तों या आवारा घूमने वाले सुअओं का विनाश या निरोध या व्याध उत्तर करने वाले पशुओं का निरोध;
- (औ) उद्भवक्यापारों या प्राणाओं को चालूरखने के लिए उपयुक्त स्थानों की प्राप्त करना या प्राप्त करने में महायता देना;
- (अं) निगम द्वारा व्यवस्थित जलकारी में निझी गृहोपालों को जल-प्रदाय करने के लिए नल तथा अन्य फिटिंगों का प्रदाय करना, निर्माण करना तथा व्यवस्थित रखना;
- (अ) निझी गृहोपालों पर या उनके उपयोग के लिए, उनका गंदा पनी निगम के नियंत्रणीय मोरियों में प्राप्त करने या डालने के लिए, पात्रों, फिटिंगों, नलों तथा अन्य उपकरणों का प्रदाय करना, निर्माण करना तथा उन्हें व्यवस्थित रखना;
- (क) मेंते तथा प्रदर्शनीय, या व्यायाम प्रदर्शन या खेल प्रतियोगिता या दूनमिट्ट;
- (ख) ऐसे मार्गों तथा भवनों, तथा अन्य शासकीय कार्यों का, जिन्हें शासन निगम को अतिरीत करे, निर्माण तथा उनको व्यवस्थित रखना;

Sec. 67

- ) organisation and management of chemical or bacteriological laboratories for the examination on analysis of water, food or drugs, for the detection of disease or for researches connected with public health; and
- ) the construction and maintenance in the public streets of drinking fountains for human beings and water-troughs for animals;
- ) the prevention of cruelty to animals;
- ) the playing of music in squares, gardens or other places of public resort;
- ) the construction, purchase, organization, maintenance or management of tramways or motor transport facilities for the conveyance of the public; preparation and presentation of address to persons of distinction;
- ) prevention of vagrancy establishing and maintaining poor houses;
- ) establishing and maintaining a farm or factory for the disposal of sewage;
- ) organization and maintenance of maternity homes and infant welfare centres;
- ) the organization, maintenance or management of institutions, for the care and training of blind, deaf, dumb or otherwise disable persons;

(ग) जल, खाद्य या औषधों के परिष्कार अथवा विस्तैरण के लिए, रोगों का प्रता लगाने के लिए अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित 'विवेषणाओं' के लिए, रासायनिक या जीवाणु संबंधी प्रयोगशालाओं का संगठन तथा प्रबंध;

(घ) सार्वजनिक मस्तिकों पर मनुष्यों के लिए पानी पीने के नल, तथा पुरुओं के लिए पानी की हॉसिंगों का निर्माण तथा उनको व्यवस्थित रखना;

(ङ) पशुओं के प्रति निर्दिष्टता की रोक;

(च) चौराहों, बांगों तथा अन्य सार्वजनिक आश्रयस्थलों पर संगीत की व्यवस्था करना;

(छ) जनता के संबहन के लिए दूष गाड़ियों या मोटर याताचार की सुधिधाओं का निर्माण क्रय, संगठन, व्यवस्था या प्रबंध;

(ज) प्रतिभूत व्यक्तियों को दी जाने वाली उपाधि की तैयारी तथा प्रस्तुति;

(झ) आवारागार्दी की रोक, दरिद्रलयों की स्थापना करना तथा उनको व्यवस्थित रखना;

(ञ) गंदे पानी के नियन्करण के लिए फार्म या कारखाने को स्थापित करना तथा उसके बनाए रखना;

(ट) प्रमूलिगांहों तथा शिशु-कर्तव्याण केन्द्रों का संगठन तथा उनको व्यवस्थित करना;

(ठ) अन्य, बहे, गूंगे या अन्यथा असामिक व्यक्तियों की देखेवह तथा प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं का संगठन, व्यवस्था या प्रबंध;

(y) swimming pools, public wash houses, bathing places, and other institution designed for the improvement of public health;

(z) dairies or farms within or without the city for the supply, distribution and processing of milk or milk products, for the benefit of the residents of the city;

(aa) establishment and control of gwala colonies and cattle pens within or without the city;

(bb) the purchase of any undertaking for the supply of electric energy or gas or starting or subsidizing of any such undertaking;

(cc) the acquisition and maintenance of grazing grounds within or without the city;

(dd) granting rewards for information regarding the infringement of any provisions of this Act or of any other Acts, the enforcement of which is entrusted to the corporation by regulation or standing order thereunder;

(ee) the construction and maintenance of sanitary stables for animals or vehicles, or garages;

(ff) measures to meet any calamity affecting the public in the city;

(gg) the regulation of lodging houses, and boarding houses in the city;

(d) तेरने के तालाब, सार्वजनिक प्रक्षालनगृह, नहाने के स्थान तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के लिए अपिनेत अन्य संस्थाएँ;

(d) काग निवासियों के लाभार्थ दुध या दुध-उत्पादनों के प्रदाय, वित्तण तथा प्रक्रिया के लिए नगर के भीतर या बाहर दुधशाला या प्रक्षेत्र;

(d) काग निवासियों के लाभार्थ दुध या दुध-उत्पादनों के प्रदाय, वित्तण तथा प्रक्रिया के लिए नगर के भीतर या बाहर दुधशाला या प्रक्षेत्र;

(n) नगर के भीतर या बाहर याला बस्तियों तथा पशुओं के बांडों की स्थापना तथा नियंत्रण;

(t) विद्युत शक्ति या गैस के प्रदाय के लिए किसी उपक्रम का क्रय या क्रिमी ऐसे उपक्रम का प्रारंभ किया जाना या उस आर्थिक सहायता देना;

(x) नगर के भीतर या बाहर चरानई भूमि की प्राप्ति तथा देखेवाल;

(d) इस अधिनियम या किन्हीं अन्य अधिनियमों के लिए क्रता प्रवर्तन लिए को मौंगा जावे, किन्हीं भी आदेशों प्रबंध-नियमों, या उनके अधीन स्थाय आज्ञाओं के उल्लंघन के मानेंग में सूचना देने के लिए पारिविकों का दिया जाना;

(d) पशुओं या गाड़ियों के लिए स्वच्छ अस्तबलों या गैरिजों का निर्माण करने की व्यवस्था;

(n) नगर में जनता को प्रशिक्षित करने वाले किसी विषय का सामना करने के लिए उपय;

(p) नगर में वासगृहों तथा छात्रावासों नियम;

- dead and disposing of unclaimed dead bodies and dead bodies of paupers;
- (j) constructing, altering and maintaining public streets, culverts and Corporation boundary markets, latrines, urinals, drains, sewers and providing public facilities for drinking water; watering public streets and places;
- (k) the management and maintenance of all municipal water works and the construction and maintenance of new work and means for providing a sufficient supply of suitable water for public and private purposes;
- (l) the erection in proper and convenient situations on municipal land of water closets, closet accommodation, urinals, and other conveniences for the public and the maintenance and the cleansing of the same;
- (m) the construction and the maintenance of public market and slaughter houses and the regulation of all markets and slaughter houses;
- (n) <sup>1</sup>[Omitted]
- (o) the maintenance of an ambulance service;
- (p) naming streets and numbering houses;
- स्थानों को प्राप्त करना, व्यवस्थित रखना, परिवर्तित करना तथा नियमित करना;
- (अौ) सार्वजनिक सड़कों, पुलियाओं तथा निगम के सीमा-चिन्हों, सण्डासों, मूत्रालयों, जलनिकासों, मोरियों का निर्माण करना, उनमें परिवर्तन करना तथा उन्हें व्यवस्थित रखना, तथा जन साधारण को सुविधा के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना, सार्वजनिक सड़कों तथा स्थानों में पानी का छिड़काव करना;
- (अं) समस्त नगरपालिक जल कार्यों का प्रबंध तथा उनको व्यवस्थित रखना और सार्वजनिक एवं निजी आशयों के लिए उपयुक्त जल के पर्याप्त प्रदाय की व्यवस्था करने के लिए नए कार्यों तथा साधनों का निर्माण करना तथा उनको व्यवस्थित रखना;
- (अ:) शौचालयों, शौचकक्ष, व्यवस्थाओं, मूत्रालयों तथा जनता के लिए अन्य सुविधाओं का नगरपालिक भूमि पर उचित तथा सुविधाजनक स्थिति में निर्माण करना तथा उनको व्यवस्थित रखना एवं उनकी सफाई;
- (क) सार्वजनिक बाजारों तथा वधशालाओं का निर्माण तथा उनको व्यवस्थित रखना और समस्त बाजारों तथा वधशालाओं का नियमन;
- (ख) 1[विलोपित]
- (ग) एम्बुलेन्स सेवा को व्यवस्थित रखना;
- (घ) सड़कों का नाम रखना, तथा गृहों पर नंबर डालना;

1. Omitted by M.P. Act No. 13 of 1961.

- (q) register and de  
(r) public  
(s) establis  
primar  
(t) taking  
the o  
recur  
diseas  
(u) the ma  
offic  
moni  
prop  
Corpor  
(v) provi  
(w) printi  
annu  
the :  
Corp  
Gove  
or sp  
Corp  
(x) the  
parl  
grow  
ope  
vest  
(y) fuli  
imp  
oth  
in f  
(z) cor  
ma  
dis  
(2) No  
specific  
maintainable  
any officer or  
ground that a  
in sub-sect  
performed.

- (k) dead and disposing of unclaimed dead bodies and dead bodies of paupers;
- (l) constructing, altering and maintaining public streets, culverts and Corporation boundary markets, latrines, urinals, drains, sewers and providing public facilities for drinking water; watering public streets and places;
- (m) the management and maintenance of all municipal water works and the construction and maintenance of new work and means for providing a sufficient supply of suitable water for public and private purposes;
- (n) the erection in proper and convenient situations on municipal land of water closets, closet accommodation, urinals, and other conveniences for the public and the maintenance and the cleansing of the same;
- (o) the construction and the maintenance of public market and slaughter houses and the regulation of all markets and slaughter houses;
- (p) [Omitted]
- (q) the maintenance of an ambulance service;
- (r) naming streets and numbering houses;
- (अ.) सर्वजनिक सड़कों, गुलियाओं तथा नियम के सीमा-चिह्नों, साड़मों, मूत्रालयों, जलनिकासों, मोरियों का नियम करना, उनमें पीवर्टन करना तथा उन्हें व्यवस्थित रखना, तथा जन साधारण को सुविधा के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना, सर्वजनिक सड़कों तथा स्थानों में पानी का छिड़कान करना;
- (अ.) समस्त नगरपालिक जल कार्यों का प्रबंध तथा उनको व्यवस्थित रखना और सार्वजनिक एवं निजी आशयों के लिए उपयुक्त जल के पायान प्रदाय की व्यवस्था करने के लिए नए कार्यों तथा साधानों का नियमण करना तथा उनको व्यवस्थित रखना;
- (अ.) शौचालयों, शौचकक्ष, व्यवस्थाओं, मूत्रालयों तथा जनता के लिए अन्य सुविधाओं का नागरिक भूमि पर उचित तथा सुविधाजनक स्थिति में नियमण करना तथा उनको व्यवस्थित रखना एवं उनकी सफाई;
- (क) सार्वजनिक बाजारों तथा रखना और समस्त बाजारों तथा व्यवस्थालालों का नियमण तथा उनको व्यवस्थित रखना और समस्त बाजारों तथा व्यवस्थालालों का नियमण;
- (ख) [विलोपित]
- (ग) एज्वलेस सेवा को व्यवस्थित रखना;
- (घ) मङ्कों का नाम खेना, तथा गृहों पर नंबर डालना;
- (अ) जन्मों, विवाहों तथा मृत्युओं का रिजिस्ट्रेशन करना;
- (र) जनता को दीक्षा लाना;
- (स) ग्राथमिक पाठशालाओं को स्थापित करना तथा व्यवस्थित रखना;
- (इ) संक्रामक रोगों के प्रारम्भ, प्रसार तथा पुनरावृत्ति की रोक करने के लिए उपाय ग्रहण करना;
- (ज) नागरपालिक कार्यालय को तथा समस्त सार्वजनिक स्मारकों तथा नियम में वैस्त्रित अन्य सम्पत्ति को व्यवस्थित रखना;
- (क) यातायात चिह्नों की व्यवस्था;
- (ट) नार के प्रशासन के संबंध में ऐसी वार्षिक रिपोर्ट तथा विवरण-पत्र छापना तथा प्रकाशित करना जैसी कि शासन, व्यापक या विशेष आजाओं द्वारा, उसे प्रस्तुत करने को आदेशित करें;
- (ख) विद्यमान तथा नियम में वैस्त्रित सार्वजनिक उद्यानों, बागियों, आगोद स्थलों, सार्वजनिक स्थानों तथा हुते हुए स्थानों को व्यवस्थित रखना;
- (ड) इस अधिनियम द्वारा अथवा तत्कालीन प्रभावशाली किसी अन्य अधिनियम द्वारा आरोपित किसी उत्तरदायित्व को पूरा करना;
- (द) पशु-अध्ययनों का नियमण करना तथा उनको व्यवस्थित रखना।
- (२) No suit for damages or for specific performance shall be maintainable against the Corporation or any officer or councillor thereof, on the ground that any of the duties specified in sub-section (1) have not been performed.

(c) neglect or refuse to perform any of the duties or wilfully perform them in an inefficient manner.

65. Power of Government to declare emergency -- If the Government is of opinion that the stoppage or the cessation of the performance of any of the essential services will be prejudicial to the safety or health or the maintenance of the services essential to the life of the community in the city, it may, by notification in the Gazette, declare that an emergency exists in the city and that in consequence thereof no member of such of the essential services and for such period as may be specified in the notification shall, notwithstanding any law for the time being in force, or any agreement --

(a) withdraw or absent himself from his duties otherwise than on leave duly granted,

or

(b) neglect or refuse to perform his duties or wilfully perform them in an inefficient manner.

## CHAPTER V POWERS, DUTIES AND FUNCTIONS OF THE MUNICIPAL AUTHORITIES

### Obligatory and Discretionary Duties of the Corporation

66. Matters to be provided for by Corporation -- (1) The Corporation shall make adequate provision, by any means or measures which it may lawfully use or take, for each of the following matters, namely : -

- (i) किसी भी कर्तव्यों के सम्पादन में प्राप्त नहीं कोणा अथवा उससे इकार नहीं करोगा अथवा इच्छापूर्वक उत्ते अद्वितीय में सम्पादित नहीं करोगा।
65. शासन की आकस्मिक आवश्यकता घोषित करने की शक्ति -- यदि शासन कायह मत हो कि किसी भी आवश्यक सेवाओं के समादर की रोक या समाप्ति, जो मुख्या या स्वास्थ्य या ऐसी सेवाओं को बनाए रखने के लिए हानिकर होगी जो नार में समाज के जीवन के लिए आवश्यक हो, तो वह, गजट में विशित द्वारा यह घोषित कर सकता है कि नार में आकस्मिक आवश्यकता विद्यमान है और उसके परिणामस्वरूप ऐसी आवश्यक सेवाओं का कोई भी सदस्य ऐसे काल के लिए जो विशिष्ट में निर्दिष्ट किया जावे, तत्कालीन प्रभावशील किसी भी विधि या किसी भी नियम के होते हुए भी ...
- (a) विधिवत स्वीकृत अवकाश के अतिरिक्त अन्यथा अपने कर्तव्यों से स्वयं को न तो विक्रित कोणा और न अनुपस्थित होगा, या
- (b) नियमित करने का संपादन करने में न तो असावधानी करोगा और न उसे इनकार करोगा और न इच्छापूर्वक अद्वितीय में उनका संपादन करोगा।

### पाँचवा अध्याय नगरपालिक प्राधिकारियों की शक्तियाँ, कर्तव्य तथा कार्य

- (c) lighting public streets, places and buildings;
- (d) cleaning public streets, places and sewers and all spaces not being private property, which are open to the enjoyment of the public, whether such spaces are vested in the corporation or not; removing noxious vegetation, and abating all public nuisances; disposing of night soil and rubbish and, if so deemed desirable, preparation of compost manure from night soil and rubbish;
- (e) the maintenance of the fire-brigade for extinguishing fire, and protection of [life] and property when fires occur;
- (f) regulating or abating dangerous or offensive trades or practices;
- (g) removing obstructions and projections in public streets and places, and in spaces not being private property, which are open to the enjoyment of the public whether such spaces are vested in the Corporation or the Government;
- (h) establishing and managing cattle ponds;
- (i) securing or removing dangerous buildings or places;
- (j) acquiring and maintaining, changing and regulating places for the disposal of the
- (a) सार्वजनिक मङ्गलों, स्थानों तथा भवनों को प्रकाशित करना;
- (b) एवं समस्त ऐसे स्थानों को साफ करना जो निजी संपत्ति न हों तथा जो सार्वजनिक उपयोग के लिए उत्ते हों, चाहे ऐसे स्थान नियम में विद्यमान नहीं, हानिकारक वनस्पतियों को नहीं, हानिकारक वनस्पतियों को हटाना, और समस्त सार्वजनिक व्यापारों को दूर करना;
- (c) निया तथा तिथेक पदार्थ का निराकाण और यदि ऐसा वांडनीय समझा जाए तो विद्या तथा निरर्थक पदार्थ से निश्चित खाद तैयार करना;
- (d) अनिवृद्धजने के लिए अनिवार्य करना तथा जाने की रखना तथा अनिवार्य करना;
- (e) भयंकर अथवा उद्वेजक व्यापारों अथवा प्रायाओं को नियमित अथवा समाप्त करना;
- (f) ऐसे स्थानों में जो निजी सम्पत्ति न हो जो जन उपयोग के लिए उत्ते हों, चाहे ऐसे स्थान नियम में विद्यमान हों अथवा हटाना;
- (g) कौंजी राजसों को स्थापित करना तथा उनका प्रबन्ध करना;
- (h) भयंकर भवनों या स्थानों को सुरक्षित करना अथवा हटाना;
- (i) भवित्वात् विषयों में से प्रत्येक के लिए ऐसे किसी भी साधनों अथवा उपयोगों द्वारा जिन्हें नियम वैध रूप से अप्रयोग में ला सके या प्रह्ला कर सके, पर्याप्त व्यवस्था करेगा, अर्थात् :-

1. Substituted by Section 3(2) of the M.P. Act 13 of 1961